परिपत्र संख्या सीएचओ/पीएमजी/20/95 दिनांक 14.10.95 का अनुलग्नक
Enclosure to Circular No. CHO/PMG/20/95 dt. 14.10.95

यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995
UCO BANK (EMPLOYEES') PENSION REGULATIONS, 1995

IndiaCode

यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालय (कार्मिक) HEAD OFFICE (PERSONNEL)
12, ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट, 12, OLD COURT HOUSE STREET
कलकत्ता-700 001 CALCUTTTTA-700 001

विषय-सूची

विनियम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
अध्याय 1	**प्रारंभ**	
1	संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	1
2	परिभाषाएं	1-3
अध्याय 2	**लागू होना और पात्रता**	
3	लागू होना और पात्रता	4-6
4	भविष्य निधि में अंशदान करने का विकल्प	6
अध्याय 3	**निधि**	
5	निधि का गठन	7
6	भविष्ट निधि न्यास का दायित्व	7
7	निधि की संरचना	7
8	न्यासी बोर्ड	7
9	न्यासियों द्वारा बैंक के निर्देशों का पालन किया जाना	8
10	निधि की लेखा बहियाँ	8
11	निधि की बीमांकिक जांच पड़ताल	8
12	निधि का निवेश	8
13	निधि से भुगतान	8
अध्याय 4	**अर्हक सेवा**	
14	अर्हक सेवा	9
15	अर्हक सेवा का प्रारंभ	9
16	परिवीक्षा पर की गई सेवा की गणना	9
17	छुट्टी पर व्यतीत अवधि की गणना	9
18	एक वर्ष से कम की खंडित सेवा	9
19	प्रशिक्षण में व्यतीत अवधि की गणना	9
20	किसी पूर्व बैंक के साथ की गई पिछली सेवा की गणना	9
21	निलंबन की अवधि	9
22	सेवाकाल का समपहरण	9-10
23	विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति की अवधि	10
24	सेना में सेवा	10
25	भारत में किसी संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि	10-11
26	विशेष परिस्थितियों में अर्हक सेवा में परिवर्धन	11
27	स्थायी अंशकालिक आधार पर की गई सेवा की गणना	11
अध्याय 5	**पेंशन के वर्ग**	
28	अधिवर्षिता पेंशन	12
29	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन	12-13
30	अशक्त पेंशन	13

IndiaCode

विनियम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
31	अनुकम्पा भत्ता	13
32	समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन	14
33	अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन	14
34	1.1.1986 से 31.10.1993 के बीच सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में पेंशन या कुटुम्ब पेंशन का संदाय	14
अध्याय 6	**पेंशन की दरें**	
35	पेंशन की रकम	15
36	न्यूनतम पेंशन	15-16
37	महंगाई राहत	16
38	औसत परिलब्धियों के लिए दस मास की अवधि का अवधारण	16
अध्याय 7	**कुटुम्ब पेंशन**	
39	कुटुम्ब पेंशन	17-18
40	कुटुम्ब पेंशन के संदाय की अवधि	18-21
अध्याय 8	**संराशीकरण**	
41	संराशीकरण	22-24
अध्याय 9	**सामान्य शर्तें**	
42	पेंशन का भावी सदाचरण के अधीन होना	25
43	पेंशन रोकना या प्रत्याहृत करना	25
44	न्यायालय द्वारा दावासिद्धि	25
45	गंभीर आवचार के लिए दोषी पेंशनभोगी	25
46	अनंतिम पेंशन	25-26
47	विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान पेंशन का संराशीकरण	26
48	बैंक को पहुंचाई गई धन-संबंधी हानि की वसूली	26
49	बैंक को शोध्य राशियों की वसूली	26
50	सेवानिवृत्ति के पश्चात् वाणिज्यिक नियोजन	26-28
51	नामनिर्देशन	29
52	पेंशन संदेय होने की तारीख	29
53	मुद्रा जिसमें पेंशन देय होगी	29
54	पेंशन संदाय की रीति	29
55	अनुदेश जारी करने की शक्ति	29
56	अवशिष्ट उपबंध	29
	परिशिष्ट-I	30-32
	परिशिष्ट-II	33-34
	परिशिष्ट-III	35-36
	परिशिष्ट-IV	37

IndiaCode

(भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, अनुभाग 4 में प्रकाशनार्थ)

बैंक का नाम और पता

यूको बैंक

प्रधान कार्यालय,
10, वि. त्रै. म. सरणी, कलकत्ता - 700 001

अधिसूचना

29 सितम्बर, 1995

सं. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 19 की उपधारा (2) के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूको बैंक का निदेशक बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

IndiaCode

अध्याय 1

भूमिका

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** –

 (1) इन विनियमों का नाम यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 है।

 (2) इन विनियमों में, जैसा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. **परिभाषाएं** – इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

 (क) 'अधिनियम' से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) अभिप्रेत है,

 (ख) 'बीमांकिक' का वही अर्थ होगा जो उसका बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खण्ड (1) में है,

 (ग) 'परिशिष्ट' से इन विनियमों से उपाबद्ध परिशिष्ट अभिप्रेत है,

 (घ) 'औसत परिलब्धि' से किसी कर्मचारी द्वारा बैंक में अपनी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान लिए गए वेतन का औसत अभिप्रेत है,

 (ङ) 'बैंक' से अधिनियम की पहली अनुसूची के स्तंभ 2 के अंतर्गत उल्लिखित यूको बैंक अभिप्रेत है,

 (च) 'बोर्ड' से बैंक का निदेशक बोर्ड अभिप्रेत है,

 (छ) 'संतान' से कर्मचारी की संतान जो, यदि वह पुत्र है तो पच्चीस वर्ष से कम आयु का है और यदि पुत्री है, अविवाहिता है और पच्चीस वर्ष से कम आयु की है और 'बहुवचन' में प्रयोग किए जाने पर इस 'संतान' पद का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा, अभिप्रेत है,

 (ज) 'सक्षम प्राधिकारी' से इन विनियमों के प्रयोजन हेतु बोर्ड द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है,

(झ) 'समेकित मजदूरी' से वेतन-मान मजदूरी न पाने वाले अधीनस्थ स्टाफ के अंशकालिक कर्मचारियों को एकमुश्त रकम अभिप्रेत है,

(ञ) 'अंशदान' से बैंक द्वारा कर्मचारी की ओर से निधि में जमा की गई राशि अभिप्रेत है, किन्तु इसके अंतर्गत ब्याज के रूप में जमा की गइ कोई रकम शामिल नहीं है,

(ट) 'सेवानिवृति की तारीख' से उस मास की अंतिम तारीख, जिस दिन कोई कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करता है या वह तारीख, जिस दिन बैंक द्वारा उसे सेवानिवृत्त किया जाता है या वह तारीख, जिस दिन कर्मचारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होता है या वह तारीख, जिस दिन अधिकारी सेवानिवृत्त हुआ समझा जाता है, अभिप्रेत है,

(ठ) 'सेवानिवृत्त समझा जाना' से केन्द्र सरकार द्वारा बैंक या उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के स्तंभ 2 में उल्लिखित किसी अन्य बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 (1980 का 40) या किसी अन्य सरकारी वित्तीय संस्था या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक में पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पर बैंक की सेवा की समाप्ति अभिप्रेत है :–

(ड) 'अनुशासन' और अपील विनियम से उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन बनाए गए यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 / कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम 1982 अभिप्रेत है,

(ढ) 'कर्मचारी' से बैंक की सेवा में पूर्णकालिक कार्य के लिए स्थायी आधार पर या अंशकालिक कार्य के लिए स्थायी आधार पर वेतन मान पर नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और जिसने इन विनियमों द्वारा शासित होने के विकल्प का प्रयोग किया है और इन विनियमों द्वारा शासित होता है, किन्तु संविदा आधार या दैनिक मजदूरी आधार या समेकित मजदूरी पर नियोजित व्यक्ति इसके अंतर्गत नहीं है,

(ण) किसी कर्मचारी के संबंध में 'कुटुंब' से निम्नलिखित अभिप्रेत है –

(i) पुरुष कर्मचारी की दशा में पत्नी और स्त्री कर्मचारी की दशा में पति,

(ii) न्यायिक रूप से पृथक पति या पत्नी, किन्तु यह पृथककरण जारकर्म के आधार पर मंजूर नही हुआ है और उत्तरजीवी व्यक्ति जारकर्म का दोषी नहीं ठहराया गया है,

(iii) पुत्र और अविवाहिता पुत्री, जिसने पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है उसके अंतर्गत कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व वैध रूप से दत्तक लिया गया पुत्र या पुत्री है,

(त) "वित्तीय वर्ष" से अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारंभ होने वाला वर्ष अभिप्रेत है,

(थ) 'निधि' से विनियम 5 के अधीन गठित यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन निधि अभिप्रेत है,

(द) 'अधिसूचित तारीख' से वह तारीख अभिप्रेत है जिस दिन ये विनियम राजपत्र में प्रकाशित हुए हैं,

(ध) 'वेतन' के अंतर्गत हैं

(क) ऐसे कर्मचारी की दशा में, जो 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 नवम्बर, 1993 के पूर्व सेवानिवृत हुआ है या जिसकी मृत्यु हो गई है –

(i) मूल वेतन जिसके अंतर्गत वेतनवृद्धियां भी है, यदि कोई हों, और

(ii) भविष्य निधि में अंशदान करने और महंगाई भत्ते का संदाय करने के प्रयोजन के लिए गणना में लिए गए सभी भत्ते,

(ख) ऐसे कर्मचारी की दशा में, जो 1 नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होता है या जिसकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है –

(i) मूल वेतन जिसके अंतर्गत वेतनवृद्धियां भी हैं, यदि कोई हों, और

(ii) भविष्य निधि में अंशदान करने और महंगाई भत्ते का संदाय करने के प्रयोजनों के लिए गणना में लिए जाने वाले सभी भत्ते, और

(iii) वैयक्तिक भत्ते का वेतनवृद्धि घटक, और

(iv) 1960 = 100 श्रृंखला में औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सूचकांक के 1148 पवाइंट तक संगणित महंगाई भत्ता,

(न) 'पेंशन' के अंतर्गत मूल पेंशन और इन विनियमों के अध्याय 2 में निर्दिष्ट अतिरिक्त पेशन है,

(प) 'पेंशनभोगी' से वह कर्मचारी अभिप्रेत है जो इन विनियमों के अधीन पेंशन पाने का पात्र है,

(फ) 'सरकारी वित्तीय संस्था' से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4क के प्रयोजनों के लिए सरकारी वित्तीय संस्था समझी जाने वाली वित्तीय संस्था अभिप्रेत है,

(ब) 'अर्हक सेवा' से ड्यूटी पर रहते हुए या अन्यथा की गई ऐसी सेवा अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के अधीन पेंशन के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा,

(भ) 'सेवानिवृत' के अंतर्गत खण्ड (1) के अंतर्गत सेवानिवृत्त समझा गया है,

(म) 'सेवानिवृत्त' से निम्नलिखित दशाओं में बैंक की सेवा समाप्ति अभिप्रेत है, अर्थात्

(i) सेवा विनियमों या समझौतों में उल्लिखित अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर,

(ii) इन विनियमों के विनियम 29 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर,

(iii) सेवा विनियमों या समझौतों में विनिर्दिष्ट अधिवर्षिता आयु से पूर्व ही समयपूर्व सेवानिवृत्ति

(य) 'मजदूरी मान' से अंशकालिक कर्मचारियों के संबंध में अभिप्रेत समझौते के अधीन समय समय पर संदेय मूल वेतन, नगर प्रतिकर भत्ता, विशेष भत्ते, मकान किराया भत्ता और अन्य भत्ते, यदि कोई हों, और महंगाई भत्ता,

(यक) 'सेवा विनियमों' से उक्त अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत बनाए गए यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979/(अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 अभिप्रेत है,

(यख) 'समझौता' से बैंक प्रबंधक वर्ग द्वारा प्राधिकृत संघ के प्रतिनिधियों और ऐसे बैंक के कर्मकारों द्वारा प्राधिकृत ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों का बैंक प्रबंधक वर्ग के बीच हुआ समझौते का ज्ञापन अभिप्रेत है,

(यग) 'न्यास' से अभिप्रेत है विनियम 5 के उप विनियम 1 के अधीन गठित यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन निधि न्यास,

(यघ) 'न्यासी' से अभिप्रेत है विनियम 5 के अधीन गठित यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन निधि के न्यासी,

(यङ) 'भविष्य निधि का न्यासी' से अभिप्रेत है बैंक की भविष्य निधि का न्यासी,

(यच) इन विनियमों में प्रयोग किए गए किन्तु अपरिभाषित अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो अधिनियम या सेवा विनियमों या समझौतों में परिभाषित है, वही अर्थ लेंगे जो यथास्थिति, अधिनियम, सेवा विनियमों या समझौतों में है।

IndiaCode

अध्याय 2

लागू होना और पात्रता

3. ये विनियम ऐसे कर्मचारियों पर लागू होंगे जो –

(1) (क) पहली जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात बैंक की सेवा में थे किन्तु पहली नवम्बर 1993 से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं, और

(ख) अधिसूचित तारीख के एक सौ बीस दिन के भीतर लिखित में निधि का सदस्य बनने के विकल्प का प्रयोग करते हैं, और

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट एक सौ बीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् साठ दिन के भीतर, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की संपूर्ण रकम और उस पर प्रोद्भूत ब्याज, भविष्य निधि खातों के परिनिर्धारण की तारीख से बैंक को उक्त रकम लौटाने की तारीख तक उस रकम पर छह प्रतिशत की वार्षिक दर पर अतिरिक्त साधारण ब्याज के साथ वापस कर देते हैं, या

(2) (क) पहली नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् परंतु अधिसूचित तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं, और

(ख) अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर लिखित में निधि का सदस्य बनने के विकल्प का प्रयोग करते हैं, और

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट एक सौ बीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् साठ दिन के भीतर, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की संपूर्ण रकम और उस पर प्रोद्भूत ब्याज भविष्य निधि खातों के परिनिर्धारण की तारीख से बैंक को उक्त रकम लौटाने तक उस रकम पर छह प्रतिशत की वार्षिक दर पर अतिरिक्त साधारण ब्याज के साथ वापस कर देते हैं, या

(3) (क) अधिसूचित तारीख से पूर्व बैंक की सेवा में हैं और अधिसूचित तारीख को या उसके पश्चात बैंक की सेवा में बने रहते हैं, और

(ख) अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर लिखित में निधि का सदस्य बनने के विकल्प का प्रयोग करते हैं, और

(ग) बैंक की भविष्य निधि के न्यासी को बैंक की संपूर्ण रकम, उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित, विनियम 5 के अधीन इस प्रयोजन हेतु गठित निधि में अंतरित करने के लिए प्राधिकृत करते हैं, या

(4) अधिसूचित तारीख को या उसके पश्चात् बैंक की सेवा में आते हैं, और

(5) पहली नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् किसी भी समय बैंक की सेवा में थे और जिनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् किन्तु अधिसूचित तारीख से पूर्व मृत्यु हो गई थी, ऐसे कर्मचारियों के कुटुम्ब, उस तारीख से, जिसको वे यदि जीवित रहते तो इन विनियमों के अधीन पेंशन पाने के हकदार होंगे, यदि मृत कर्मचारी का कुटुम्ब –

(क) अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर लिखित में निधि का सदस्य बनने के विकल्प का प्रयोग करता है, और

IndiaCode

(ख) उपर्युक्त खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट एक सौ बीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् साठ दिन के भीतर, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की संपूर्ण रकम और उस पर प्रोद्भूत ब्याज भविष्य निधि खातों के परिनिर्धारण की तारीख से बैंक को उक्त रकम लौटाने की तारीख तक उस रकम पर छह प्रतिशत की वार्षिक दर से अतिरिक्त साधारण ब्याज के साथ वापस कर दें, या

(6) पहली नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् बैंक की सेवा मे आते हैं किन्तु अधिसूचित तारीख से पूर्व बैंक की सेवा में रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके कुटुम्ब इन विनियमों के अधीन कुटुम्ब पेंशन के हकदार होंगे,

परंतु यह जब तक कि ऐसे मृत कर्मचारी का कुटुम्ब अधिसूचित तारीख से एक सौ अस्सी दिन के भीतर भविष्य निधि में बैंक के अंशदान, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम को उस पर प्रोद्भूत ब्याज और भविष्य निधि खातों के परिनिर्धारण की तारीख से बैंक को उक्त रकम लौटाने की तारीख तक उस रकम पर छह प्रतिशत की वार्षिक दर से अतिरिक्त साधारण ब्याज के साथ वापस कर देता है,

परंतु यह और भी कि ऐसे मृत कर्मचारी का कुटुम्ब पेंशन प्रदान किए जाने के लिए आवेदन करेगा, या

(7) पहली जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात् किसी भी समय बैंक की सेवा में थे और जिनकी 31 अक्तूबर, 1993 को या उससे पूर्व सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई है या जो 31 अक्तूबर, 1993 को या इससे पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके थे किंतु जिनकी अधिसूचित तारीख से पूर्व मृत्यु हो गई है, ऐसे मामले में ऐसे कर्मचारियों के कुटुम्ब इन विनियमों के अधीन यथास्थिति पेंशन या कुटुम्ब पेंशन, के हकदार होंगे यदि मृत कर्मचारी या कुटुम्ब –

(क) अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर लिखित में निधि का सदस्य बनने के विकल्प का प्रयोग करता है, और

(ख) उपर्युक्त खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट एक सौ बीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् साठ दिन के भीतर, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की संपूर्ण रकम और उस पर प्रोद्भूत ब्याज भविष्य निधि खातों के परिनिर्धारण की तारीख से बैंक को उस रकम लौटाने की तारीख तक उस रकम पर छह प्रतिशत की वार्षिक दर से अतिरिक्त साधारण ब्याज के साथ वापस कर देता है, या

(8) 31 अक्तूबर, 1993 को या इससे पूर्व बैंक की सेवा में आते है और जिनकी पहली नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् किन्तु अधिसूचित तारीख से पूर्व सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई है, ऐसे मामले में, ऐसे कर्मचारियों के अधीन कुटुम्ब इन विनियमों के अधीन कुटुम्ब पेंशन के हकदार होंगे, यदि मृत कर्मचारी का कुटुम्ब –

(क) अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर लिखित रूप में निधि का सदस्य बनने के विकल्प का प्रयोग करता है, और

(ख) उपर्युक्त खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट एक सौ बीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् साठ दिन के भीतर, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की संपूर्ण रकम और उस पर प्रोद्भूत ब्याज भविष्य निधि खातों के परिनिर्धारण की तारीख से बैंक को उक्त रकम लौटाने की तारीख तक उस रकम पर छह प्रतिशत की वार्षिक दर से अतिरिक्त साधारण ब्याज के साथ वापस कर देता है।

(9) उप विनियम (1), (2), (3), (5) और (8) में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई कर्मचारी या मृत कर्मचारी का कुटुम्ब इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार अधिसूचित तारीख से साठ दिन के भीतर बैंक का अंशदान, और उस पर प्रोद्भूत ब्याज, उस रकम पर अतिरिक्त सामान्य ब्याज सहित, भविष्य निधि को लौटा देता है और उस दशा में जब भविष्य निधि न्यास से नियोक्ता का अंशदान प्राप्त नहीं हुआ है, यदि उसने अधिसूचित तारीख से साठ दिन के भीतर बैंक के भविष्य निधि न्यासियों को भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की संपूर्ण रकम और इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार उस पर प्रोद्भूत ब्याज को विनियम 5 के अंतर्गत इस प्रयोजन के लिए गठित निधि में जमा कराने हेतु प्राधिकृत कर दिया है या ऐसा करता है, यदि कोई कर्मचारी या मृत कर्मचारी का कुटुम्ब अधिसूचित तारीख से पूर्व कोई विकल्प चुन लेता है तो समझौते के अनुसार इसे उस अध्याय के प्रयोजन हेतु विकल्प माना जाएगा।

4. **भविष्य निधि में अंशदान करने का विकल्प –**

(1) विनियम 3 के उप-विनियम (4) मे किसी बात के होते हुए भी, वह कर्मचारी, जो अधिसूचित तारीख को या इसके पश्चात् पैंतीस वर्ष या इससे अधिक की आयु में बैंक की सेवा में आता है, अपनी नियुक्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर पेंशन के अपने अधिकार छोड़ने का निर्वाचन कर सकेगा और ऐसा करने पर ये विनियम उस पर लागू नहीं होंगे।

(2) उप-विनियम (4) और विनियम 3 में निर्दिष्ट विकल्प का एक बार किया गया प्रयोग अंतिम होगा।

IndiaCode

अध्याय 3

निधि

5. **निधि का गठन –**

(1) बैंक अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर अप्रतिसंहरणीय के अधीन यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन निधि के नाम से एक निधि का गठन करेगा।

(2) निधि का एक मात्र प्रयोजन होगा कर्मचारी या उसके कुटुम्ब को इन विनियमों के अनुसार पेंशन के संदाय का उपबंध करना।

(3) बैंक निधि का एक अंशदाता होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि निधि में पर्याप्त धनराशि रहे ताकि न्यासी इन विनियमों के अधीन हिताधिकारियों को शोध्य संदाय कर सके।

6. **भविष्य निधि न्यास का दायित्व** – भविष्य निधि न्यास, निधि के गठन के तुरंत पश्चात् प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की संचित रकम, ऐसे अंतरण की तारीख तक उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित, यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन निधि में अंतरित करेगा।

7. **निधि की संरचना** – निधि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :

(क) कर्मचारी के वेतन पर दस प्रतिशत की दर से बैंक द्वारा अंशदान,

(ख) कर्मचारियों की दशा में भविष्य निधि में बैंक का संचित अंशदान और ऐसे अंतरण की तारीख तक उस पर प्रोद्भूत ब्याज,

(ग) ऐसे कर्मचारियों द्वारा, जो अधिसूचित तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए है, किन्तु जिन्होंने इन विनियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार पेंशन के विकल्प का प्रयोग किया है, वापस की गई बैंक के अंशदान की रकम और उस पर ब्याज,

(घ) निधि के धन से क्रय की गई वार्षिकी या प्रतिभूतियों में किया गया निवेश और उस पर ब्याज,

(ङ) निधि की पूंजी आस्तियों से उद्भूत किसी पूंजी अभिलाभ की रकम,

(च) इन विनियमों के विनियम 11 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार बैंक द्वारा किया गया अतिरिक्त वार्षिक अंशदान,

(छ) निधि में जमा की गई रकमों के निवेश से हुई आय,

(ज) मृत कर्मचारी के कुटुम्ब द्वारा वापस किए गए बैंक के, अंशदान की रकम और उस पर ब्याज।

8. **न्यासी बोर्ड –**

(1) न्यासी बोर्ड, बैंक द्वारा नियुक्त इतने व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जिनकी संख्या बैंक अवधारित करेगा किंतु जिनकी संख्या तीन से कम और नौ से अधिक नहीं होगी।

(2) न्यासियों की नियुक्ति का अधिकार बैंक में निहित होगा और ऐसी सभी नियुक्तियाँ लिखित रूप से की जाएंगी।

(3) बैंक, एक न्यासी को न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित करेगा। बैंक किसी एक न्यासी को अनुकल्पी अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित करेगा, जो न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

IndiaCode

9. **न्यासियों द्वारा बैंक के निदेशों का पालन किया जाना** – न्यासी गण निधि के समुचित कार्यकरण के लिए बैंक द्वारा दिए गए सभी निदेशों का पालन करेंगे।

10. **निधि की लेखा बहियां** –

(1) निधि की लेखाओं में निधि से संबंधित सभी वित्तीय संव्यवहारों की विशिष्टियां ऐसे प्ररूप में अंतर्विष्ट होंगी जो बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक सौ अस्सी दिन के भीतर न्यास, न्यास की आस्तियों और दायित्वों का सामान्य लेखा दर्शाते हुए अपना वित्तीय विवरण तैयार करेगा और उसकी एक प्रति बैंक को अग्रेषित करेगा।

(3) निधि के लेखाओं की उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंधो के अनुसार संपरीक्षा की जाएगी।

11. **निधि का बीमांकिक अन्वेषण** – बैंक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 मार्च को निधि की वित्तीय स्थिति का किसी बीमांकिक द्वारा अन्वेषण कराएगा और निधि में ऐसा अतिरिक्त वार्षिक अंशदान करेगा जो इन विनियमों के अधीन लाभों का संदाय सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित हो :

परंतु यह कि बैंक, जिस वित्तीय वर्ष में निधि का गठन किया गया है उसके ठीक पश्चात्वर्ती 31 मार्च को निधि की वित्तीय स्थिति के संबंध में किसी बीमांकिक से अन्वेषण कराएगा।

12. **निधि का निवेश** – निधि में अंशदान की गई या प्राप्त या ब्याज के रूप में अधिसूचित तारीख के पश्चात प्रोद्भूद संपूर्ण राशि भारत में डाक घर बचत बैंक खाते या किसी अनुसूचित बैंक के चालू खाते में जमा की जा सकेगी या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) के अनुसार उपयोग में लाई जा सकेगी।

13. **निधि से भुगतान** – न्यास द्वारा फायदों का संदाय बैंक कर्मचारियो को पेंशनिक फायदे या बैंक के मृत कर्मचारियों के कुटुम्बों को कुटुम्ब पेंशन देने के लिए किया जाएगा।

IndiaCode

अध्याय 4

अर्हक सेवा

14. **अर्हक सेवा** – इन विनियमों में अन्तर्विष्ट अन्य शर्तो के अधीन रहते हुए ऐसा कर्मचारी जिसने अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को या जिस तारीख को वह सेवानिवृत्त समझा जाता है, उस तारीख को बैंक में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा की है, पेंशन के लिए अर्हित होगा।

15. **अर्हक सेवा का आरंभ** – इन विनियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी कर्मचारी की अर्हक सेवा उस तारीख से आरंभ होगी, जिस तारीख को वह उस पद का कार्यभार ग्रहण करता है, जिस पर वह पहली बार स्थायी आधार पर नियुक्त हुआ था।

16. **परिवीक्षा पर की गई सेवा की गणना** – बैंक में किसी पद पर परिवीक्षा पर की गई सेवा अर्हक सेवा होगी, यदि परिवीक्षा के पश्चात् उसी पद पर या किसी अन्य पद पर उसकी पुष्टि हो जाती है।

17. **छुट्टी पर व्यतीत अवधि की गणना** – बैंक की सेवा में ऐसी सभी छुट्टियों की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी जिसके लिए छुट्टी वेतन संदेय है।

 परंतु वेतनहानि पर असाधारण छुट्टी अर्हक सेवा में नही गिनी जाएगी सिवाय तब के जब मंजूरी प्राधिकारी ने निदेश दिया है कि ऐसी छुट्टी, संपूर्ण सेवावधि के दौरान बारह महीनों से अनधिक, पेंशन सहित सभी प्रयोजनों के लिए सेवा के रूप में गिनी जाए।

18. **एक वर्ष से कम की सेवा का खंडित सेवा काल** – यदि किसी कर्मचारी की सेवा में एक वर्ष से कम का खंडित सेवा काल सम्मिलित है और यदि यह खंडित काल छह महीने से अधिक है तो उसे एक वर्ष माना जाएगा और यदि ऐसा खंडित काल छह महीने या कम है, तो इसे छोड़ दिया जाएगा।

19. **प्रशिक्षण में व्यतीत अवधि की गणना** – किसी कर्मचारी द्वारा उसकी नियुक्ति से ठीक पहले बैंक में प्रशिक्षण में व्यतीत अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

20. **किसी पूर्व बैंक के साथ की गई भूतकालिक सेवा की गणना** – जिस बैंक में ये विनियम लागू होते है उसमें, किसी अन्य बैंक के विलयन या, समामेलन पर किसी अन्य बैंक से स्थायी रूप से स्थानांतरित किए गए कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी द्वारा यथास्थिति किसी अन्य बैंक में स्थायी आधार पर की गई अनवरत सेवा, यदि कोई हो, जिसके पश्चात् बिना किसी व्यवधान के स्थायी नियुक्ति हुई हो या बैंक में स्थायी क्षमता में की गई अनवरत सेवा, अर्हक सेवा होगी।

 परंतु संविदा के आधार पर, दैनिक मजदूरी के आधार पर या समेकित मजदूरी पर नियुक्त किसी कर्मचारी पर यह विनियम लागू नहीं होगा।

21. **निलंबन की अवधि** – जांच लंबित रहने के दौरान किसी कर्मचारी की निलंबन की अवधि की गणना अर्हक सेवा के लिए की जाएगी जहां ऐसी जांच पूरी हो जाने के पश्चात् उसे पूरी तरह नियुक्त कर दिया गया है या निलंबन की अवधि को तब तक अर्हक सेवा नहीं गिना जाएगा जब तक कि ऐसे मामलों को शासित करने वाले सेवा विनियमों या अनुशासन एवं अपील विनियमों या समझौतों के अधीन आदेश पारित करने वाला सक्षम प्राधिकारी उस समय स्पष्ट रूप से यह घोषित न करे कि उसकी गणना उस विस्तार तक की जाएगी जिसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी करे।

22. **सेवाकाल का समपहरण** –

 (1) किसी कर्मचारी के बैंक की सेवा से त्यागपत्र देने या उसके पदच्युत किए जाने या हटाए जाने या सेवा समाप्ति पर उसकी संपूर्ण पिछली सेवा समपहृत हो जाएगी और परिणामस्वरूप पेंशनिक फायदों के लिए अर्हक सेवा नहीं होगी,

(2) निम्नलिखित मामलों को छोड़कर किसी बैंक कर्मचारी की सेवा में व्यवधान उसकी पूर्व सेवा को अपरिहार्य रूप से समपहृत कर देता है।

(क) प्राधिकृत अनुपस्थिति छुट्टी,

(ख) निलंबन, जहां उसका तुरंत यथापूर्वकरण चाहे उसी पद पर हो या किसी भिन्न पद पर या जहां बैंक कर्मचारी की मृत्यु हो गई है या उसे सेवानिवृति दी गई है या निलंबन के दौरान अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु पर पहुंचने पर सेवानिवृत्त कर दिया गया है,

(ग) सरकार के नियंत्रणाधीन किसी संस्थान में या बैंक में गैर-अर्हक सेवा में स्थानांतरण, यदि ऐसे स्थानांतरण का आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा लोकहित में दिया गया है,

(घ) स्थानांतरण पर एक पद से दूसरे पद पर कार्यग्रहण करने का समय।

(3) उप-विनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी बिना छुट्टी की अनुपस्थिति की अवधि को भूतलक्षी प्रभाव से असाधारण छुट्टी में परिवर्तन करने का आदेश दे सकता है।

(4) (क) सेवा अभिलेख में किसी प्रतिकूल विशिष्ट उपदर्शन के अभाव में किसी बैंक कर्मचारी द्वारा की गई सेवा की दो अवधियों के बीच के व्यवधान को स्वतः माफ किया जाएगा और व्यवधान से पहले की सेवा को अर्हक सेवा माना जाएगा,

(ख) खण्ड (क) की कोई भी बात त्याग पत्र या पदच्युति या सेवा से हटाए जाने के कारण या हड़ताल में भाग लेने के कारण हुए व्यवधान पर लागू नहीं होगी,

परंतु किसी बैंक कर्मचारी के सेवा अभिलेख में, हड़ताल में भाग लेने के कारण पिछली सेवा में हुए समपहरण के संबंध में, प्रविष्टि करने से पहले ऐसे बैंक कर्मचारियों को अभ्यावेदन करने का एक अवसर दिया जा सकता है।

23. **विदेशी सेवा में प्रतिनियुक्ति की अवधि** – संयुक्त राष्ट्र या किसी अन्य विदेशी निकाय या संगठन में विदेश सेवा में प्रतिनियुक्त कर्मचारी अपने विकल्प पर –

(क) अपनी विदेश सेवा के संबंध में पेंशन का अंशदान अदा कर सकता है और ऐसी सेवा की गणना इन विनियमों के अधीन अर्हक सेवा के रूप में कर सकता है, या

(ख) विदेशी नियोजक के नियमों के अधीन अनुज्ञेय सेवानिवृत्ति फायदों का लाभ ले सकेगा और ऐसी सेवा की गणना इन विनियमों के अधीन अर्हक सेवा के रूप में नहीं करेगा,

परंतु यदि कोई कर्मचारी खण्ड (ख) के लिए विकल्प देता है तो उसे सेवानिवृत्ति फायदे भारत में रुपयों में ऐसी तारीख से और ऐसी रीति से संदेय किए जाएंगे जिसे बैंक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

24. **सेना में सेवा** – ऐसा कर्मचारी जिसने बैंक में नियुक्ति से पहले सेना में सेवा की है, सैनिक पेंशन, यदि कोई हो, प्राप्त करता रहेगा और कर्मचारी द्वारा की गई सेवा की गणना पेंशन के रूप में नहीं की जाएगी।

25. **भारत में किसी संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि** – भारत में किसी अन्य संगठन में कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी :

परंतु यह तब जबकि ऐसा संगठन जिसमें वह प्रतिनियुक्त है, या कर्मचारी इन विनियमों के विनियम 7 के उप-विनियम (क) में विनिर्दिष्ट दरों पर या प्रतिनियुक्ति के समय बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट दरों पर, इनमें से जो भी

उच्चतर हो, पेंशन संबंधी अंशदान का बैंक को संदाय करे।

26. **विशेष परिस्थितियों में अर्हक सेवा में परिवर्धन** – कोई भी कर्मचारी अधिवर्षिता पेंशन के लिए (किन्तु किसी अन्य वर्ग की पेंशन के लिए नहीं) अर्हित करने वाले अपने सेवाकाल में अपनी सेवा की एक चौथाई से अनधिक या उतनी वास्तविक अवधि जितनी से, भर्ती के समय सीधी भर्ती हेतु बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट उच्चतर आयु सीमा से उसकी आयु अधिक थी या पाँच वर्ष की अवधि की, इनमें से जो भी कम हो, वृद्धि करने का पात्र होगा किन्तु यह तब तक जबकि वह सेवा या पद, जिस पर कर्मचारी को नियुक्त किया गया है, निम्नलिखित में से एक है –

(क) जिसके लिए कि स्नातकोत्तर अनुसंधान या विशेषज्ञ अर्हताए या वैज्ञानिक प्रोद्योगिक या वृत्तिक क्षेत्रों में अनुभव आवश्यक है, और

(ख) जिस पर सीधी भर्ती हेतु बैंक द्वारा सामान्यतया विनिर्दिष्ट उच्चतर आयु सीमा से अधिक के अभ्यर्थी भर्ती किए जाते हैं,

(ग) जिसके लिए अभ्यर्थी को उसके पास उच्चतर अर्हताए और अनुभव होने के कारण बैंक द्वारा नियत अधिकतम आयु सीमा से ऊपर छूट दी गई हो,

परंतु यह रियायत किसी कर्मचारी को तभी अनुज्ञेय होगी जब कि बैंक की सेवा छोड़ने के समय उसकी वास्तविक अर्हक सेवा कम से कम दस वर्ष की हो,

परंतु यह भी कि किसी कर्मचारी को यह रियायत तभी अनुज्ञेय होगी जब उक्त सेवा या पद के संबंध में भर्ती नियमों में विशिष्ट रूप से यह उपबंध किया गया है कि इस सेवा या पद के लिए इस विनियम का फायदा उपलब्ध है,

परंतु यह भी कि किसी सेवा या पद के संबंध में भर्ती नियम, जिनमें इस विनियम के फायदे उपलब्ध होंगे केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से बनाए जाएंगे।

27. **स्थायी अंशकालिक आधार पर की गई सेवा की गणना** –

(1) ऐसे कर्मचारी के मामले में जो कि मजदूरी मान पर नियुक्त था और स्थायी अंशकालिक आधार पर बैंक की सेवा में नियोजित था और भविष्य निधि में अंशदान कर रहा था, उसके द्वारा स्थायी अंशकालिक आधार पर की गई ऐसी सेवा की गणना भविष्य निधि का सदस्य बनने की तारीख से अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

(2) पेंशन की रकम की संगणना के प्रयोजन के लिए उप-विनियम (1) में उल्लिखित कर्मचारी की अर्हक सेवा परिशिष्ट IV के अनुसार अवधारित की जाएगी।

अध्याय 5

पेंशन के वर्ग

28. **अधिवर्षिता पेंशन** – अधिवर्षिता पेंशन ऐसे कर्मचारी को प्रदान की जाएगी जो सेवा विनियमों या समझौतों में विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुआ है।

29. **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन** –

(1) पहली नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् कर्मचारी के बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् किसी भी समय वह नियुक्ति प्राधिकारी को कम से कम तीन मास की लिखित सूचना देकर सेवानिवृत्त हो सकेगा,

परंतु यह उप विनियम प्रतिनियुक्ति पर या विदेश में अध्ययन हेतु छुट्टी पर गए कर्मचारी पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वह स्थानांतरित होने पर या भारत लौटने पर भारत में उस पद का कार्यभार पुनः ग्रहण नहीं कर लेता और कम से कम एक वर्ष की सेवा पूरी नहीं कर लेता है,

परंतु यह भी कि यह उप-विनियम ऐसे कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जो ऐसे किसी स्वशासी निकाय या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम या कंपनी या संस्था या निकाय में, चाहे वह निगमित है या नहीं, में स्थायी रूप से नियोजित होने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगते समय प्रतिनियुक्ति पर है,

परंतु यह उप विनियम उस कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जिसे विनियम 2 के खण्ड (ठ) के अनुसार सेवानिवृत्त समझा गया है।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन दी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी,

परंतु यदि नियुक्ति प्राधिकारी उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले सेवानिवृत्ति के लिए अनुज्ञा देने से इन्कार नही करता है तो सेवानिवृत्ति उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रभावी हो जाएगी।

(3) (क) उप विनियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी को यह कारण बताते हुए लिखित अनुरोध कर सकेगा कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए तीन मास से कम की सूचना स्वीकार कर ली जाए,

(ख) खण्ड (क) के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी, उप विनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए गुणागुण के आधार पर सूचना की तीन महीने की अवधि में कमी करने के अनुरोध पर विचार कर सकेगा और यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि सूचना की अवधि में कमी करने से कोई प्रशासनिक असुविधा पैदा नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी तीन महीने की सूचना संबंधी अपेक्षा को इस शर्त पर शिथिल कर सकेगा कि कर्मचारी सूचना के तीन महीने समाप्त होने से पहले अपनी पेंशन के किसी भाग के संराशीकरण के लिए आवेदन नहीं करेगा।

(4) ऐसा कर्मचारी, जिसने इस विनियम के अधीन सेवानिवृत्त होने का चयन किया है और इस संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को आवश्यक सूचना, दी है, ऐसे अधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन के बिना अपनी सूचना वापस नहीं ले सकेगा :

परंतु यह कि सूचना वापस लेने के लिए अनुरोध सेवानिवृत्ति की आशयित तारीख से पहले किया जाएगा।

(5) इस विनियम के अधीन स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की अर्हक सेवा अधिकतम पाँच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए बढ़ाई जाएगी कि ऐसे कर्मचारी द्वारा की गई कुल अर्हक सेवा किसी भी दशा में तैंतीस वर्ष से अधिक नहीं होगी और यह अधिवर्षिता की तारीख से आगे नहीं जाएगी।

(6) इस विनियम के अधीन सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की पेंशन इन विनियमों के विनियम 2 के खण्ड (घ) के अधीन यथापरिभाषित औसत परिलब्धियों पर आधारित होगी और वृद्धि जो कि उसकी अर्हक सेवा में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी, वह अपनी पेंशन की संगणना के लिए वेतन के काल्पनिक नियतन का हकदार नहीं होगा।

30. अशक्त पेंशन –

(1) ऐसे कर्मचारी को अशक्त पेंशन प्रदान की जा सकेगी, –

(क) जिसने न्यूनतम दस वर्ष की सेवा की है, और

(ख) जो पहली नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् किसी ऐसे शारीरिक या मानसिक शैथिल्य के कारण सेवानिवृत्त हुआ है जिसने उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से असमर्थ बना दिया है।

(2) अशक्त पेंशन के लिए आवेदन करने वाला कर्मचारी बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया असमर्थता संबंधी डाक्टरी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(3) जहां बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी कर्मचारी को उस पद से जिस पर वह कार्य कर रहा था, कम परिश्रम वाले कार्य पर आगे सेवा हेतु स्वस्थ घोषित कर देता है तो, यदि वह कार्य करना चाहता हो तो, उसे निम्नतर पद पर सेवा में रखा जा सकता है और यदि उसे निम्नतर पद पर रखने का कोई साधन नहीं है तो उसे अशक्त पेंशन प्रदान की जा सकती है।

(4) सेवा हेतु अक्षमता का चिकित्सा प्रमाणपत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि आवेदक इस आशय का पत्र प्रस्तुत नहीं करता है कि सक्षम प्राधिकारी को इस बात की जानकारी है कि आवेदक बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना चाहता है।

(5) सक्षम प्राधिकारी बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी को, जिस बैंक में आवेदक नियोजित है उसके अभिलेख से प्रकट होने वाली आवेदक की आयु की जानकारी देगा।

31. अनुकम्पा भत्ता –

(1) ऐसे कर्मचारी की, जिसे सेवा से पदच्युत किया जाता है या हटाया जाता है या जिसकी सेवा समाप्त की जाती है, पेंशन समपहृत हो जाएगी :

परन्तु पदच्युत करने या सेवा से हटाने या सेवा समाप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से उच्चतर प्राधिकारी, यदि –

(i) ऐसी पदच्युति, सेवा से हटाया जाना या सेवा समाप्ति 1 नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् की गई है, और

(ii) मामला विशेष रूप से विचार किए जाने के योग्य है, तो

ऐसी पेंशन की दो तिहाई से अनधिक अनुकंपा भत्ता मंजूर कर सकेगा, जो उसकी पदच्युति, सेवा से हटाए जाने या सेवा समाप्त करने की तारीख तक की गई सेवा के आधार पर उसे अनुज्ञेय होती।

(2) उप विनियम (1) के परंतुक के अधीन स्वीकृत अनुकंपा भत्ता इन विनियमों के विनियम 36 के अधीन संदेय न्यूनतम पेंशन की रकम से कम नहीं होगा।

32. **समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन** – समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन उस कर्मचारी को दी जाएगी जो, –

(क) न्यूनतम दस वर्ष की सेवा कर चुका हो,

(ख) लोकहित में समयपूर्व सेवानिवृत्त होने के बैंक के आदेश के कारण या सेवा विनियमों या समझौते में विनिर्दिष्ट किसी अन्य कारण से सेवानिवृत्त होता है, और जो अन्यथा अधिवर्षिता की उस तारीख पर पेंशन के लिए पात्र होता।

33. **अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन** –

(1) पहली नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् अनुशासन एवं अपील विनियमन या समझौते के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से उच्चतर प्राधिकारी द्वारा ऐसी शास्ति दिए जाने पर सेवा से शास्ति के रूप में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए कर्मचारी को उस दर से पेंशन दी जा सकती है जो उसे देय पेंशन के दो-तिहाई से कम न हो और उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को उसे स्वीकृत उस पूरी पेंशन से अधिक न हो, यदि वह अन्यथा अधिवर्षिता की तारीख को ऐसी पेंशन का पात्र होता।

(2) जब भी किसी बैंक कर्मचारी की दशा में सक्षम प्राधिकारी कोई आदेश पारित करता है (चाहे वह आरंभिक अपील या पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए हो), जिसमें इन विनियमों के अधीन स्वीकृत पूर्ण प्रतिकर पेंशन से पेंशन दी गई है, तो ऐसा आदेश पारित करने से पहले निदेशक बोर्ड से परामर्श किया जाएगा।

(3) यथास्थिति, उप विनियम (1) या उप विनियम (2) के अधीन, दी गई या प्रदान की गई पेंशन प्रतिमास तीन सौ पचहत्तर रुपये की रकम से कम नहीं होगी।

34. **01.01.1986 से 30.10.1993 के बीच सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में पेंशन या कुटुम्ब पेंशन का संदाय** –

(1) 1 जनवरी, 1986 और 31 अक्तूबर, 1993 के बीच बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी 1 नवम्बर, 1993 से पेंशन के लिए पात्र होंगे।

(2) विनियम 3 के उप-विनियम (7) में अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा शासित मृत कर्मचारी का कुटुम्ब 1 नवम्बर, 1993 से पेंशन का पात्र होगा।

अध्याय 6

पेंशन की दर

35. **पेंशन की रकम –**

(1) 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात् किन्तु 31 अक्तूबर 1987 के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में मूल पेंशन और अतिरिक्त पेंशन को परिशिष्ट 1 में दिए गए सूत्र के अनुसार अद्यतन किया जाएगा।

(2) तैंतीस वर्ष से अन्यून अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् सेवा विनियमों या समझौते के उपबंधों के अधीन सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले में मूल पेंशन की रकम की संगणना औसत परिलब्धियों के पचास प्रतिशत पर की जाएगी।

(3) (क) अतिरिक्त पेंशन, कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान प्राप्त किए गए भत्तों की राशि की पचास प्रतिशत होगी,

(ख) अतिरिक्त पेंशन की रकम पर कोई मंहगाई राहत नहीं दी जाएगी।

स्पष्टीकरण :– इस उप विनियम के प्रयोजन के लिए भत्तों से वे भत्ते अभिप्रेत हैं जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए जिस विस्तार तक गणना की जाती है उस तक अनुज्ञेय हैं।

(4) उपर्युक्त उप विनियम (2) और उप विनियम (3) के रूप में परिकलित पेंशन इन विनियमों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पेंशन के अधीन रहते हुए होगी।

(5) ऐसे कर्मचारी को जिसने इन विनियमों के विनियम 41 के उपबंधों के अनुसार अपनी पेंशन के अनुज्ञेय भाग का संराशीकरण करवाया है, प्रत्येक मास पेंशन का केवल अतिशेष ही प्राप्त होगा।

(6) (क) तैंतीस वर्षों की अर्हक सेवा पूरी करने से पहले किन्तु दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मामले में पेंशन की रकम उप विनियम (3) के अधीन अनुज्ञेय पेंशन की रकम के अनुपात में होगी और किसी भी दशा में पेंशन की रकम इन विनियमों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पेंशन की रकम से कम नही होगी।

(ख) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, अशक्त पेंशन की रकम कुटुम्ब पेंशन की उस सामान्य दर से कम नहीं होगी, जो सेवाकाल में कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके कुटुम्ब को संदेय होती।

(7) इस विनियम के अधीन अंतिम रूप से अवधारित पेंशन की रकम पूर्ण रुपये में व्यक्त की जाएगी और यदि पेंशन में रुपये का कोई भाग हो तो इसे अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।

36. **न्यूनतम पेंशन** – न्यूनतम पेंशन की रकम इस प्रकार होगी –

(क) पहली नवम्बर, 1993 से पहले अंशकालिक कर्मचारी से भिन्न सेवानिवृत्त कर्मचारी की दशा में तीन सौ पचहत्तर रुपये प्रति मास, और

(ख) पहली नवम्बर, 1993 से पहले सेवानिवृत्त हुए अंशकालिक कर्मचारी की दशा में एक सौ पचीस रुपये प्रति मास,

(ग) पहली नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारी से भिन्न, कर्मचारी की दशा में सात सौ बीस रुपये प्रति मास, और

(घ) पहली नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारी की दशा में दो सौ चालीस रुपये प्रति मास।

37. **महंगाई राहत –**

(1) मूल पेंशन या कुटुम्ब पेंशन या अशक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता पर महंगाई राहत परिशिष्ट II में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार मंजूर की जाएगी।

(2) महंगाई राहत, संराशीकरण के पश्चात् भी, पूर्ण मूल पेंशन पर अनुज्ञात की जाएगी।

38. **औसत परिलब्धियों के लिए दस मास की अवधि का अवधारण –**

(1) औसत परिलब्धियों के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती दस मास की अवधि की गणना सेवानिवृत्ति की तारीख से की जाएगी।

(2) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या समयपूर्व सेवानिवृत्ति के मामले में, औसत परिलब्धियों के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती दस मास की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिसको कर्मचारी स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुआ है या बैंक द्वारा समयपूर्व सेवानिवृत्त किया गया है।

(3) पदच्युति या सेवा से हटाए जाने या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त या सेवा समाप्ति के मामले में औसत परिलब्धियों के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती दस मास की अवधि की गणना बैंक से कर्मचारी की पदच्युति या सेवा से हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति की तारीख से की जाएगी।

(4) यदि सेवा के अंतिम दस मास के दौरान कर्मचारी बिना वेतन असाधारण छुट्टी पर ड्यूटी से अनुपस्थिति रहा है या निलंबित रहा है और उस अवधि की गणना सेवा के रूप में नहीं की गई है तो औसत परिलब्धियों की गणना करते समय असाधारण छुट्टी या निलंबन की उक्त अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा और दस मास से पहले की उतनी ही अवधि उसमें सम्मिलित कर ली जाएगी।

IndiaCode

अध्याय 7

कुटुम्ब पेंशन

39. **कुटुम्ब पेंशन –**

(1) इन विनियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि कर्मचारी की मृत्यु –

(क) एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी होने के पश्चात् होती है, या

(ख) एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी होने से पहले होती है, परंतु संबंधित मृत कर्मचारी की सेवा में या पद पर नियुक्ति होने से ठीक पहले बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की गई थी और उसे बैंक में नियोजन के लिए उपयुक्त घोषित किया गया था, या

(ग) सेवानिवृत्ति के पश्चात् और वह मृत्यु की तारीख को पेंशन या अनुकंपा भत्ता पा रहा था,

तो मृत कर्मचारी का कुटुम्ब, कुटुम्ब पेंशन का हकदार होगा, जिसकी रकम का अवधारण परिशिष्ट III के अनुसार किया जाएगा।

(2) कुटुम्ब पेंशन की रकम मासिक दरों पर नियत की जाएगी और पूर्ण रुपए में व्यक्त की जाएगी और जहां कुटुम्ब पेंशन में रुपये का कोई भाग है तो इसे अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा,

परंतु किसी भी दशा में कुटुम्ब पेंशन इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकतम पेंशन से अधिक नहीं होगी।

(3) (क) (i) जहां किसी कर्मचारी की जो कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) से शासित नहीं होता है, कम से कम सात वर्ष की निरंतर सेवा करने के पश्चात् सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है तो कुटुम्ब पेंशन की दर अंतिम आहरित वेतन के पचास प्रतिशत या उप विनियम (1) के अधीन अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन के दुगुने के, इनमें से जो भी कम हो, बराबर होगी और इस प्रकार अनुज्ञेय रकम कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के ठीक बाद की तारीख से साठ वर्ष की अवधि के लिए या उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए जिस तारीख को मृत कर्मचारी यदि वह जीवित रहा होता तो पैसठ वर्ष की आयु का हो जाता, इनमें से जो भी कम हो, संदेय होगी।

(ii) सेवानिवृत्ति के पश्चात् कर्मचारी की मृत्यु की दशा में, इस उप विनियम के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन यथाअवधारित कुटुम्ब पेंशन कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के ठीक बाद की तारीख के सात वर्ष के लिए या उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए जिस तारीख को सेवानिवृत्त मृत कर्मचारी यदि वह जीवित रहा होता तो पैसठ वर्ष की आयु का हो जाता, इनमें से जो भी कम हो, संदेय होगी।

(ख) (i) जहां किसी कर्मचारी की जो कर्मकार, 1923 (1923 का 8) से शासित होता है, सात वर्ष से अन्यून की निरंतर सेवा करने के पश्चात् सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है तो कुटुम्ब पेंशन की दर अंतिम आहरित वेतन के पचास प्रतिशत या उप विनियम (1) के अधीन अनुज्ञात कुटुम्ब पेंशन के डेढ़ गुने, इनमें से जो भी कम हो, के बराबर होगी,

IndiaCode

(ii) उप खंड (i) के अधीन इस प्रकार अवधारित कुटुम्ब पेंशन खंड (क) में उल्लिखित अवधि के लिए संदेय होगी,

(ग) खंड (क) में निर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पश्चात् वह कुटुम्ब, जिसे उस खंड या खंड (ख) के अधीन कुटुम्ब पेंशन मिल रही है, उप विनियम (1) के अधीन अनुज्ञेय दर पर कुटुम्ब पेंशन का हकदार होगा।

(4) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी मृत कर्मचारी का कटुम्ब विनियम 3 के उप विनियम (5) के अनुसार पेंशन के विकल्प का प्रयोग या विनियम 3 के उप विनियम (6) या (7) या (8) मे अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा शासित होता है, तो मृत कर्मचारी का ऐसा कुटुम्ब इन विनियमों के अधीन कुटुम्ब पेंशन का पात्र होगा।

40. **कुटुम्ब पेंशन के संदाय की अवधि –**

(1) वह अवधि जिसके लिए कुटुम्ब पेंशन संदेय होगी :

(क) विधवा या विधुर की दशा में, मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो,

(ख) पुत्र की दशा में, जब तक कि वह पच्चीस वर्ष की आयु का नहीं हो जाता, और

(ग) अविवाहित पुत्री की दशा में, जब तक कि वह पच्चीस वर्ष की आयु की नहीं हो जाती या जब तक कि उसका विवाह नहीं हो जाता, इनमें से जो भी पहले हो, होगी।

परंतु यदि किसी कर्मचारी का पुत्र या पुत्री किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से पीड़ित है या शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त है, जिससे कि वह पच्चीस वर्ष की आयु का होने के बाद भी जीविकोपार्जन में असमर्थ है तो ऐसे पुत्र या पुत्री को आजीवन कुटुम्ब पेंशन निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए संदेय होगी, अर्थात् :

(i) यदि ऐसा पुत्र या पुत्री कर्मचारी के दो या अधिक संतान में से एक है तो आरंभ में कुटुम्ब पेंशन का संदाय उप विनियम (1) के खंड (ङ) में निर्धारित क्रम में अवयस्क संतानो को किया जाएगा जब तक कि अंतिम अवयस्क संतान पच्चीस वर्ष की आयु की नहीं हो जाती और तत्पश्चात् कुटुम्ब पेंशन, मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त अथवा शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त पुत्र या पुत्री के पक्ष में पुनः प्रारंभ की जाएगी और उसे आजीवन संदेय होगी,

(ii) यदि मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त या शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त एक से अधिक संताने हैं तो उनकी जन्म की तारीख के क्रम में पेंशन का संदाय किया जाएगा और उनमें से कनिष्ठ को कुटुम्ब पेंशन तभी मिलेगी जब उससे ठीक ज्येष्ठ संतान की पात्रता समाप्त हो जाती है :

परंतु जहां कुटुम्ब पेंशन ऐसी जुड़वां संतान को संदेय है वहां इसका संदाय उप विनियम (1) के खंड (च) में दी गयी रीति से किया जाएगा,

(iii) उस दशा के सिवाय जिनमें शारीरिक रूप से विकलांग पुत्र या पुत्री वयस्क है, ऐसे पुत्र या पुत्री को संरक्षक के माध्यम से कुटुम्ब पेंशन का संदाय किया जाएगा मानो वह अवयस्क हो,

(iv) ऐसे पुत्र या ऐसी पुत्री को आजीवन कुटुम्ब पेंशन मंजूर करने से पहले सक्षम प्राधिकारी अपना यह समाधान कर लेगा कि विकलांगता की प्रकृति ऐसी है कि वह अपनी

जीविका उपार्जित करने में असमर्थ है और इसके लिए बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी का प्रमाणपत्र होगा, जिसमें संतान की सही शारीरिक या मानसिक स्थिति, यथासंभव, बताई गई होगी,

(v) ऐसे पुत्र या पुत्री के संरक्षक के रूप में कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति या बिना संरक्षक के माध्यम के कुटुम्ब पेंशन लेने वाला पुत्र या पुत्री प्रत्येक तीसरे वर्ष बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह अब भी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त है या अब भी शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त है।

स्पष्टीकरण : इस विनियम में विनिर्दिष्ट आयु सीमा से अधिक की निःशक्त संतानों को कुटुम्ब पेंशन की मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी, अर्थात्

(i) पुत्री का विवाह हो जाने पर वह विवाह होने की तारीख से इस उप विनियम के अधीन कुटुम्ब पेंशन के लिए अपात्र हो जाएगी।

(ii) यदि ऐसा पुत्र या पुत्री अपनी जीविका उपार्जित करने लग जाता है या जाती है तो उसे संदेय कुटुम्ब पेंशन बंद कर दी जाएगी। ऐसे मामलों में सरंक्षक या पुत्र या पुत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक मास बैंक को यह प्रमाणपत्र दे कि –

(अ) उसने जीविकोपार्जन करना आरंभ नहीं किया है,

(आ) पुत्री की दशा में यह कि उसका अभी विवाह नहीं हुआ है,

(घ) यदि मृत कर्मचारी या पेंशनभोगी अपनी विधवा या विधुर को छोड़ जाता है तो कुटुम्ब पेंशन विधवा या विधुर को संदेय होगी और उनके न होने पर पात्र संतान को देय होगी,

(ङ) संतान को कुटुम्ब पेंशन उनके जन्म की तारीख के क्रम में संदेय होगी और कनिष्ठतर संतान तब तक कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि उससे ज्येष्ठतर संतान कुटुम्ब पेंशन पाने के लिए अपात्र नहीं हो जाती,

परंतु जहां कुटुम्ब पेंशन का संदाय जुड़वां संतान को किया जाता है वहां इसका संदाय उप विनियम (1) के खण्ड (च) में वर्णित रीति से किया जाएगा,

(च) जहां कुटुम्ब पेंशन का संदाय जुड़वां संतान को किया जाना है वहां ऐसी संतानो को उसका संदाय समान भागों में किया जाएगा –

परंतु जहां इस प्रकार की किसी एक संतान की पात्रता नहीं रहती है वहां उसका भाग दूसरी संतान को दे दिया जाएगा और जहां दोनों संतानों की पात्रता नहीं रहती है वहां कुटुम्ब पेंशन, यथास्थिति, अगली पात्र संतान या जुड़वां संतान को दी जाएगी।

(2) जब मृत कर्मचारी या पेंशनभोगी एक से अधिक संतान छोड़ जाता है तो ज्येष्ठतम पात्र संतान उप विनियम (1) के, यथास्थिति, खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में दी गई अवधि के लिए कुटुम्ब पेंशन की हकदार होगी और उस अवधि की समाप्ति होने पर उससे ठीक कनिष्ठ संतान कुटुम्ब पेंशन की मंजूरी के लिए पात्र होगी।

(3) जहां कुटुम्ब पेंशन इस विनियम के अधीन अवयस्क को मंजूर की जाती है, वहां अवयस्क के लिए संरक्षक को संदेय होगी।

IndiaCode

(4) उस दशा में जब पति और पत्नी दोनो बैंक के कर्मचारी हैं और इस विनियम के उपबंधों द्वारा शासित हैं और उनमें से एक की मृत्यु सेवा काल में या सेवानिवृत्ति के पश्चात् हो जाती है तो मृत कर्मचारी के बाबत कुटुम्ब पेंशन, यथास्थिति, उत्तरजीवी पति या पत्नी को संदेय होगी और पति या पत्नी की मृत्यु होने पर मृत माता-पिता के संबंध में उत्तरजीवी संतान या संतानों को दो कुटुम्ब पेंशनों की मंजूरी नीचे विनिर्दिष्ट सीमाओं के अधीन रहते हुए की जाएगी, अर्थात् :

(क) यदि उत्तरजीवी संतान या संतानें विनियम 39 के उप विनियम (3) के खण्ड (क) के उप खण्ड (i) के खण्ड (ख) या उप खण्ड (ii) में उल्लिखित दरों पर दो कुटुम्ब पेंशनों को पाने के पात्र हैं तो ऐसे कर्मचारियों के बाबत जो पहली नवम्बर, 1993 के पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं या सेवा काल में जिनकी मृत्यु हो गई है दोनों पेंशनों की रकम दो हजार पांच सौ रुपये प्रति मास तक सीमित होगी और ऐसे कर्मचारियों के बाबत जो पहली नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हो गए या उनकी मृत्यु हो गई है, दोनों पेंशनों की रकम केवल चार हजार आठ सौ रुपये प्रति माह तक सीमित होगी।

(ख) यदि विनियम 39 के उप विनियम (3) के खण्ड (क) के उप खण्ड (i) में या खण्ड (ख) या उप खण्ड (i) में उल्लिखित दरों पर देय कुटुम्ब पेंशन में से एक मिलना बंद हो जाती है और उसके स्थान पर विनियम 39 के उप विनियम (i) में उल्लिखित दर पर कुटुम्ब पेंशन संदेय हो जाती है तो उस कर्मचारी के बाबत जो पहली नवम्बर, 1993 के पूर्व; सेवानिवृत्त हो गया था या सेवा काल में उसकी मृत्यु हो गई थी, दोनो पेंशनों की रकम दो हजार पांच सौ रुपये प्रतिमास तक सीमित होगी और ऐसे कर्मचारी के बाबत जो पहली नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया है या जिसकी मृत्यु हो गई है, यह रकम चार हजार आठ सौ रुपये प्रति माह तक सीमित होगी।

(ग) यदि दोनो कुटुम्ब पेंशन विनियम 39 के उप विनियम (i) में उल्लिखित दर पर संदेय है तो कर्मचारी के पहली नवम्बर, 1993 से पूर्व सेवानिवृत्त होने या सेवा काल में उसकी मृत्यु होने की दशा में पेंशन की रकम एक हजार दो सौ पचास रुपये प्रति मास तक सीमित होगी और उस कर्मचारी के बाबत जो पहली नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होता है या सेवा काल में जिसकी मृत्यु हो जाती है कुटुम्ब पेंशन की रकम दो हजार चार सौ रुपये प्रतिमास तक सीमित होगी।

(5) (क) जहां कुटुम्ब पेंशन एक से अधिक विधवाओं को संदेय है वहां कुटुम्ब पेंशन का सभी विधवाओं को समान भागों में संदाय किया जाएगा।

(ख) किसी विधवा की मृत्यु होने पर उसके अंश की कुटुम्ब पेंशन उसकी पात्र संतान को संदेय होगी।

परंतु यदि विधवा के कोई उत्तरजीवी संतान नहीं है तो उसके अंश की कुटुम्ब पेंशन व्यपगत नहीं होगी किंतु वह अन्य विधवाओं को समान भागों में संदेय होगी और यदि इस प्रकार की केवल एक ही विधवा जीवित रहती है तो पेंशन की संपूर्ण रकम उसे संदेय होगी।

(ग) यदि मृत कर्मचारी या पेंशनभोगी की उत्तरजीवी एक विधवा है किन्तु उसकी दूसरी पत्नी से, जो जीवित नहीं है, उससे एक या अधिक पात्र संतान जीवित है, तो पात्र संतान कुटुम्ब पेंशन के उस अंश के लिए पात्र होगी जो कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के समय उस संतान या संतानों की माता को यदि वह जीवित होती तो मिलता।

परंतु यह कि जब इस प्रकार की संतान या संतानों या विधवा या विधवाओं को कुटुम्ब पेंशन के अंश संदेय नहीं रहते हैं तब वह रकम व्यपगत नहीं होगी बल्कि वह दूसरी विधवा या

विधवाओं को जो इसके लिए अन्यथा पात्र होंगे, समान भागों में संदेय होगी या यदि केवल एक ही विधवा या संतान हो तो उसे पूरी रकम संदेय होगी।

(घ) जहां कुटुम्ब पेंशन जुड़वा संतानो को संदेय है वहां उसका संदाय उपर्युक्त उप विनियम (1) के खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा।

(ङ) इस उप विनियम में यथाउपबंधित के सिवाय कुटुम्ब पेंशन एक समय में कुटुम्ब के एक से अधिक सदस्यों को संदेय नहीं होगी।

(6) जहां कोई स्त्री कर्मचारी या पुरुष कर्मचारी न्यायिक रूप से पृथक् जीवित पति या पत्नी पीछे छोड़ जाता है और कोई संतान नहीं हैं वहां मृतक के बाबत कुटुम्ब पेंशन उत्तरजीवी को संदेय होगी,

परंतु जहां न्यायिक पृथक्करण जारकर्म के आधार पर मंजूर किया जाता है और कर्मचारी की मृत्यु इस प्रकार के न्यायिक पृथक्करण के दौरान होती है, तो जारकर्म के लिए सिद्धदोष पाए गए उत्तरजीवी को कुटुम्ब पेंशन संदेय नहीं होगी।

(7) (क) जहां किसी महिला या पुरुष कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और वह अपने न्यायिक रूप से पृथक पति या विधवा छोड़ जाता है जिसकी एक या अधिक संतान है वहां मृत कर्मचारी के बाबत संदेय कुटुम्ब पेंशन उत्तरजीवी को संदेय होगी परंतु यह तब जब कि वह ऐसी संतान का संरक्षक हो,

(ख) जहां उत्तरजीवी व्यक्ति ऐसी संतान का संरक्षक नहीं रह गया है वहां कुटुम्ब पेंशन इस प्रकार की संतान के वास्तविक संरक्षक को संदेय होगी।

(8) यदि कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र पुत्र या अविवाहित पुत्री अठारह वर्ष की हो जाती है तो कुटुम्ब पेंशन का संदाय सीधे ऐसे पुत्र या अविवाहित पुत्री को किया जाएगा।

(9) (क) यदि कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु की दशा में इन विनियमों के अधीन कुटुम्ब पेशन प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति पर उस कर्मचारी की हत्या करने का या ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण का आरोप लगाया जाता है, तो कुटुम्ब के अन्य पात्र सदस्य या सदस्यों सहित ऐसे व्यक्ति के कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने के दावे को उसके विरुद्ध संस्थित दांडिक कार्यवाहियां समाप्त होने तक निलंबित रखा जाएगा।

(ख) यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट दांडिक कार्यवाहियों के समाप्त होने पर, संबद्ध व्यक्ति –

(i) कर्मचारी की हत्या करने या हत्या के दुष्प्रेरण के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो उसे कुटुम्ब पेंशन से विवर्जित कर दिया जाएगा और कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से कुटुम्ब पेंशन कुटुम्ब के अन्य पात्र सदस्यों को संदेय होगी।

(ii) कर्मचारी की हत्या या हत्या के लिए दुष्प्रेरण के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को बैंक कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से कुटुम्ब पेंशन संदेय होगी।

(ग) उपखण्ड (क) और (ख) के उपबंध किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात् उसकी मृत्यु पर संदेय होने वाली कुटुम्ब पेंशन पर भी लागू होंगे।

IndiaCode

अध्याय 8

संराशीकरण

41. **संराशीकरण –**

(1) कोई कर्मचारी एकमुश्त संदाय के लिए अपनी पेंशन के एक तिहाई भिन्न से अनधिक भाग के संराशीकरण का हकदार होगा।

परंतु इन विनियमों के विनियम 3 के उप विनियम (5) द्वारा शासित किसी कर्मचारी के बाबत, ऐसे कर्मचारी का कुटुम्ब भी, कर्मचारी को अनुज्ञात पेंशन के एकमुश्त संदाय के लिए एक तिहाई भाग से अनधिक भिन्न के संराशीकरण का हकदार होगा।

(2) कर्मचारी यह उपदर्शित करेगा कि वह पेंशन के किस भिन्नांश का संराशीकरण करने के लिए निर्देशित करेगा, संराशीकरण के लिए या तो वह पेंशन का एक तिहाई भाग अर्थात अधिकतम सीमा को उपदर्शित कर सकता है अथवा इससे कम सीमा तक अपनी इच्छानुसार संराशीकरण कर सकता है।

(3) यदि संराशीकरण के लिए पेंशन का भिन्न एक रुपये का अंश है तो संराशीकरण के प्रयोजन के लिए इसे छोड़ दिया जाएगा।

(4) किसी आवेदक को संदेय एकुमश्त रकम की संगणना नीचे दी गई सारणी के अनुसार की जाएगी

सारणी

एक रुपया प्रतिवर्ष की पेंशन के लिए संराशीकरण मूल्य

अगली जन्मतिथि पर आयु	वर्ष की क्रय संख्या के रूप में अभिव्यक्त संराशीकरण मूल्य	अगली जन्मतिथि पर आयु	वर्ष की क्रय संख्या के रूप में अभिव्यक्त संराशीकरण मूल्य	अगली जन्मतिथि पर आयु	वर्ष की क्रय संख्या के रूप में अभिव्यक्त संराशीकरण मूल्य	अगली जन्मतिथि पर आयु	वर्ष की क्रय संख्या के रूप में अभिव्यक्त संराशीकरण मूल्य
17	19.28	34	17.11	51	12.95	68	7.53
18	19.20	35	16.92	52	12.66	69	7.22
19	19.11	36	16.72	53	12.35	70	6.91
20	19.01	37	16.52	54	12.05	71	6.60
21	18.91	38	16.31	55	11.70	72	6.30
22	18.81	39	16.09	56	11.42	73	6.01
23	18.70	40	15.87	57	11.10	74	5.72
24	18.59	41	15.64	58	10.78	75	5.44
25	18.47	42	15.40	59	10.46	76	5.17
26	18.34	43	15.15	60	10.13	77	4.90
27	18.21	44	14.90	61	9.81	78	4.65
28	18.07	45	14.64	62	9.48	79	4.40
29	17.93	46	14.37	63	9.15	80	4.17
30	17.78	47	14.10	64	8.82	81	3.94
31	17.62	48	13.82	65	8.50	82	3.72
32	17.46	49	13.54	66	8.17	83	3.52
33	17.29	50	13.25	67	7.85	84	3.32
						85	3.13

IndiaCode

टिप्पणी :

(1) उपर्युक्त सारणी पेंशनभोगी की अगली जन्मतिथि पर उसकी आयु के संदर्भ में वर्ष की क्रय संख्या के रूप में अभिव्यक्त पेंशन संराशीकरण मूल्य दर्शाती है। अट्ठावन वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले में संराशीकृत मूल्य 10.46 वर्ष का क्रय है, और यदि वह अपनी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष के भीतर अपनी मासिक पेंशन से रुपये एक सौ संराशित करता है तो उसे संदेय एकमुश्त राशि रु $100 \times 10.46 \times 12 = 12,552$ होगी।

(2) कोई कमर्चारी जिसने अपनी पेंशन के अनुज्ञात भाग का संराशीकरण किया है, संराशीकरण की तारीख से पन्द्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् संराशीकृत भाग की पेंशन को पुनः प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) कोई आवेदक जो अधिवर्षिता पेंशन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन, समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन, अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन, अशक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता के लिए प्राधिकृत है इन विनियमों के अधीन अपनी पेंशन के भिन्न का संराशीकरण कराने का हकदार होगा।

(4) ऐसे पेंशनभोगी की दशा में जो अधिवर्षिता पेंशन या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन या समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन का पात्र है, कोई चिकित्सीय जांच आवश्यक नहीं होगी, यदि आवेदक संराशीकरण के लिए आवेदन सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर देता है और यदि ऐसा पेंशनभोगी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष के पश्चात् पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन करता है तो उसकी अनुमति चिकित्सीय परीक्षा के अधीन होगी।

IndiaCode

स्पष्टीकरण – कोई आवेदक जो –

(i) इन विनियमों के विनियम 30 के अधीन अशक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्त होता है, या

(ii) इन विनियमों के विनियम 31 के अधीन अनुकंपा भत्ता प्राप्त करता है, या

(iii) बैंक द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है और विनियम 33 के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन पाने का पात्र है।

उप विनियम (1) विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन रहते हुए पेंशन के किसी भिन्न संराशीकरण के लिए पात्र तभी होगा जब बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे स्वस्थ घोषित कर दिया जाए।

(5) ऐसे किसी कर्मचारी की दशा में –

(क) जो अधिवर्षिता पर या स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्त होकर सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन करता है, पेंशन का संराशीकरण सेवानिवृत्ति की तारीख के ठीक बाद की तारीख को आत्यंतिक होगा,

परंतु यह कि विनियम 29 के उप विनियम (3) द्वारा शासित कर्मचारी अपनी पेंशन के किसी भाग के संराशीकरण के लिए तीन मास की सूचना की अवधि समाप्त होने के पूर्व आवेदन नहीं करेगा और पेंशन का संराशीकरण विनियम 29 के उप विनियम (1) में दी गई सूचना की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् ही आत्यंतिक होगा,

(ख) जो अधिवर्षिता पर या स्वैच्छिक आधारपर या सेवानिवृत्त होकर या समयपूर्व सेवानिवृत्त होकर सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् किन्तु सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर यदि वह पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन करता है तो पेंशन का संराशीकरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा संराशीकरण के लिए आवेदन प्राप्त किए जाने की तारीख को आत्यंतिक होगा।

(ग) जो अधिवर्षिता पर या स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्त होकर या समयपूर्व सेवानिवृत्त होकर यदि वह सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के बाद संराशीकरण के लिए आवेदन करता है तो पेंशन का संराशीकरण बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय प्रमाणपत्र की तारीख को आत्यंतिक होगा।

(घ) जो पहली नवम्बर, 1993 के पहले सेवानिवृत्त हो चुका है और जो इन विनियमों के अधीन शासित होने के विकल्प का प्रयोग करता है, यदि विनियम 3 के उप विनियम (1) के खण्ड (ख) द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संराशीकरण के लिए आवेदन करता है, तो पेंशन का संराशीकरण पहली नवम्बर, 1993 से, आत्यंतिक होगा।

(ङ) जो पहली नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् बैंक की सेवा में था किन्तु इन विनियमों के प्रकाशन के पूर्व सेवानिवृत्त हो गया है, यदि विनियम 3 के उप विनियम (2) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन करता है तो पेंशन का संराशीकरण उसके सेवानिवृत्त होने की तारीख के ठीक बाद के दिन आत्यंतिक होगा।

(च) जो पहली नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होता है किन्तु अधिसूचित तारीख से पूर्व जिसकी मृत्यु हो जाती है, यदि मृत कर्मचारी के कुटुम्ब द्वारा विनियम 3 के उप विनियम (5) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संराशीकरण के लिए आवेदन किया गया है तो पेंशन का संराशीकरण उसके सेवानिवृत्त होने की तारीख के ठीक बाद के दिन आत्यंतिक होगा।

(छ) जिसके बाबत विनियम 30 के अधीन अशक्त पेंशन या विनियम 31 के अधीन अनुकंपा भत्ता या विनियम 33 के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन अनुज्ञेय है, पेंशन का संराशीकरण बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र की तारीख को आत्यंतिक होगा।

अध्याय 9

सामान्य शर्तें

42. **पेंशन का भावी सदाचरण के अधीन होना** – इन विनियमों के अधीन पेंशन की प्रत्येक मंज़ूरी और उसके निरंतर दिए जाने की एक विवक्षित शर्त यह होगी कि भविष्य में सदाचरण बना रहे।

43. **पेंशन रोकना या प्रत्याहृत करना** – यदि कोई पेंशनभोगी किसी गंभीर अपराध या आपराधिक न्यासभंग या कूटरचना या कपटपूर्ण कार्य करने के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या किसी गंभीर अवचार का दोषी पाया गया है तो सक्षम प्राधिकारी, पेंशन या उसके किसी भाग को, लिखित आदेश द्वारा, स्थायी रूप से या किसी अवधि के लिए रोक सकेगा या प्रत्याहृत कर सकेगा,

परंतु यह कि जहां पेंशन का कोई भाग रोक लिया जाता है या प्रत्याहृत कर लिया जाता है वहां ऐसी पेंशन की रकम इतनी कम नहीं की जाएगी कि वह इन विनियमों के अधीन संदेय न्यूनतम पेंशन की रकम से कम हो जाए।

44. **न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि** – जहां कोई पेंशनभोगी किसी न्यायालय द्वारा किसी गंभीर अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है वहां कार्रवाई न्यायालय की ऐसी दोषसिद्धि से संबंधित निर्णय को ध्यान में रखकर की जाएगी।

45. **गंभीर अवचार के लिए दोषी पेंशनभोगी** – किसी ऐसे मामले में जो विनियम 44 के अंतर्गत नहीं आता है, यदि सक्षम प्राधिकारी का यह विचार है कि पेंशनभोगी गंभीर अवचार का प्रथमदृष्टया दोषी है तो कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व, यथास्थिति, वह यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 या समझौते में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

46. **अनंतिम पेंशन** –

(1) यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर या अन्यथा सेवानिवृत्त हुआ है और जिसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां संस्थित की गई है या जहां विभागीय कार्यवाहियां चल रही है वहां उसको दी जा सकने वाली अधिकतम पेंशन के बराबर अंनतिम पेंशन की अनुमति उसे, कार्यवाहियों के समाप्त होने पर अनुज्ञात किए जाने वाले सेवानिवृत्ति फायदों के समायोजन के अधीन दी जाएगी किन्तु यदि अंतिम रूप से मंजूर पेंशन, अंतिम पेंशन से कम है या पेंशन को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि लिए कम कर दिया गया है या रोक लिया गया है तो कोई वसूली नहीं की जाएगी।

(2) ऐसे मामलों में कर्मचारी को उपदान का संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसके विरुद्ध चल रही कार्यवाहियां समाप्त नहीं हो जाती है। उपदान का संदाय कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने पर कार्यवाहियों के निर्णय के अधीन किया जाएगा। किसी भी कर्मचारी से वसूल की जाने वाली धनराशि का समायोजन उसे संदेय उपदान की रकम से किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस अध्याय में –

(क) 'गंभीर अपराध पद' के अंतर्गत ऐसा अपराध आता है जिसमें शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) के अधीन कोई अपराध अंतग्रस्त है,

(ख) 'गंभीर अवचार' पद के अंतर्गत कोई गुप्त शासकीय संकेत को या संकेत – शब्द या किसी रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी को, जैसी कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) की धारा 5 में वर्णित है, जो कि बैंक के अधीन किसी पद का धारण करते समय प्राप्त हुई थी, संसूचित या प्रकट करना है जिससे कि जनसाधारण के हितों पर या राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े,

(ग) 'कपटपूर्ण' पद का अर्थ वही होगा जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 25 के अधीन है,

(घ) 'आपराधिक न्यासभंग' का अर्थ वही होगा जो भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 405 के अधीन दिया गया है,

(ङ) 'कूटरचना' पद का अर्थ वही होगा जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 463 के अधीन है।

47. **विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान पेंशन का संराशीकरण** – कोई कर्मचारी जिसके विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व संस्थित की गई हैं या जिसके विरुद्ध उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् ऐसी कार्यवाहियां संस्थित की गई है ऐसी कार्यवाहियों के विचाराधीन रहने के दौरान, यथास्थिति, अपनी पेंशन या अनंतिम पेंशन के किसी भाग के इन विनियमों के अधीन प्राधिकृत संराशीकरण का पात्र नहीं होगा।

48. **बैंक को पहुंचाई गई धन-संबंधी हानि की वसूली** –

(1) यदि किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में किसी पेंशनभोगी को अपनी सेवा की अवधि के दौरान गंभीर अवचार या उपेक्षा या आपराधिक न्यासभंग या कूटरचना या कपटपूर्ण व्यवहार का दोषी पाया जाता है तो पेंशनभोगी के कारण बैंक को हुई धन-संबंधी हानि के लिए सक्षम प्राधिकारी स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उसकी पेंशन या उसके किसी भाग को रोक सकता है, प्रत्याहृत कर सकता है और पूरी रकम या उसके किसी भाग को पेंशन से वसूल करने का आदेश दे सकता है।

परंतु यह कि किसी अंतिम आदेश को पारित करने से पूर्व बोर्ड से परामर्श किया जाएगा।

परंतु यह और कि यदि विभागीय कार्यवाहियां यदि कर्मचारी के सेवाकाल में संस्थित की गई है तो कर्मचारी के सेवानिवृत्त हो जाने पर वे इस विनियम के अधीन कार्यवाहियां समझी जाएंगी और इन कार्यवाहियों को प्रारंभ करने वाले प्राधिकारी द्वारा उन्हे इस प्रकार चालू रखा जाएगा और पूरा किया जाएगा मानो कर्मचारी सेवा में बना हुआ है,

परंतु यह और भी कि यदि कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां कर्मचारी के सेवाकाल में प्रारंभ नहीं की गई है तो कसी ऐसे वाद हेतुक या ऐसी घटना के बाबत जो कार्यवाही संस्थित किए जाने की तारीख से चार वर्ष पूर्व उद्भूत हुआ हो या हुई हो, कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी।

(2) जहां सक्षम प्राधिकारी धन संबंधी हानि की वसूली पेंशन में से करने का आदेश देता है वहां ऐसी वसूली सामान्यतया सेवानिवृत्ति की तारीख को अनुज्ञेय पेंशन के एक तिहाई भाग से अधिक दर पर नहीं की जाएगा,

परंतु जहां पेंशन का कोई भाग रोक लिया जाता है या प्रत्याहृत किया जाता है तो वहां पेंशनभोगी की पेंशन राशि इन विनियमों के अधीन संदेय न्यूनतम पेंशन राशि से कम नहीं होगी।

49. **बैंक को शोध्य राशियों की वसूली** – बैंक पेंशन के संराशीकरण मूल्य या मासिक पेंशन या कुटुम्ब पेंशन से बैंक को देय आवास ऋण, अग्रिम, अनुज्ञप्ति फीस, अन्य वसूलियों और कर्मचारी सहकारी प्रत्यय सोसायटी को देय शोध्य राशियों की वसूली करने का हकदार होगा।

50. **सेवा निवृत्ति के पश्चात् वाणिज्यिक नियोजन** –

(1) यदि कोई पेंशनभोगी जो अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले अधिकारी का पद धारण कर रहा था अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति से पूर्व कोई वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार करना चाहता है तो वह ऐसी स्वीकृति के लिए बैंक की पूर्व मंजूरी प्राप्त करेगा।

IndiaCode

(2) बैंक, उप विनियम 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा पेंशनभोगी द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसे पेंशनभोगी को आवेदन में विनिर्दिष्ट वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के लिए ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, जिन्हें वह आवश्यक समझे, अधीन रहते हुए अनुज्ञा दे सकेगा या ऐसे कारणों के आधार पर अनुज्ञा देने से इन्कार कर सकेगा जो आदेश में अभिलिखित किए जाएंगे।

(3) किसी पेंशनभोगी को कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के लिए विनियम (2) के अधीन अनुज्ञा देने या देने से इन्कार करने में, बैंक निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, अर्थात् :–

(क) ग्रहण किए जाने के लिए प्रस्तावित नियोजन की प्रकृति और कर्मचारी का पूर्ववृत्त,

(ख) क्या उस नियोजन में जो वह ग्रहण करने का प्रस्ताव करता है, उसके कर्तव्य ऐसे हो सकते हैं जिनसे उसका बैंक के साथ विरोध हो,

(ग) क्या पेंशनभोगी की जब वह सेवा में था तब उस नियोजक के साथ, जिसके अधीन वह नियोजन चाहता है ऐसा व्यवहार था कि जिससे यह संदेह करने के लिए युक्तियुक्त आधार बनता है कि ऐसे पेंशनभोगी ने ऐसे नियोजक के प्रति पक्षपात किया था,

(घ) क्या प्रस्तावित वाणिज्यिक नियोजन के कर्तव्यों में बैंक के साथ संपर्क या संबंध अंतर्वलित है,

(ङ) क्या उसके वाणिज्यिक कर्तव्य ऐसे होंगे कि बैंक के अधीन उसकी पूर्ववर्ती पदीय स्थिति या ज्ञान या अनुभव का प्रस्तावित नियोजन को अनुचित फायदा देने के लिए उपयोग किया जा सकता है,

(च) प्रस्तावित नियोजक द्वारा प्रस्थापित परिलब्धियां, और

(छ) कोई अन्य सुसंगत बात।

(4) जहां उप विनियम (4) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की कालावधि के भीतर बैंक आवेदित अनुज्ञा देने से इन्कार नहीं करता है या आवेदक को इन्कार किए जाने की संसूचना नहीं देता है वहां यह समझा जाएगा कि बैंक ने आवेदित अनुज्ञा दे दी है,

परंतु किसी ऐसी दशा में जहां आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण या अपर्याप्त सूचना दी जाती है और बैंक के लिए उससे और स्पष्टीकरण या जानकारी मांगना आवश्यक हो जाता है वहां साठ दिन की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिसको आवेदक द्वारा त्रुटियां दूर की गई है या पूर्ण जानकारी दी गई है।

(5) जहां बैंक आवेदित अनुज्ञा किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए देता है या ऐसी अनुज्ञा देने से इनकार करता है वहां आवेदक उस आशय के बैंक के आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर किसी ऐसी शर्ते इनकार किए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकेगा और बैंक उस पर ऐसे आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे,

परंतु इस उप विनियम के अधीन ऐसी किसी शर्त को रद्द करने वाली या बिना किसी शर्त के ऐसी अनुज्ञा वाले किसी आदेश से भिन्न कोई आदेश, अभ्यावेदन करने वाले पेंशनभोगी को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

IndiaCode

(6) यदि कोई पेंशनभोगी बैंक की पूर्व अनुज्ञा के बिना अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी समय कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करता है या किसी ऐसी शर्त को भंग करता है जिसके अधीन कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने की अनुज्ञा उसे इस विनियम के अधीन दी गई है तो बैंक लिखित आदेश द्वारा और उसमें लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के आधार पर यह घोषणा करने के लिए सक्षम होगा कि वह संपूर्ण पेंशन या उसके ऐसे भाग का ऐसी कालावधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, हकदार नहीं होगा,

परंतु ऐसा कोई आदेश संबंधित पेंशनभोगी को ऐसी घोषणा के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि इस उप विनियम के अधीन कोई आदेश करने में बैंक निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा :

(i) संबंधित पेंशनभोगी की वित्तीय परिस्थितियाँ,

(ii) संबंधित पेंशनभोगी द्वारा ग्रहण किए गए वाणिज्यिक नियोजन की प्रकृति और उससे प्राप्त होने वाली परिलब्धियाँ, और

(iii) कोई अन्य संगत बात।

(7) बैंक द्वारा इस नियम के अधीन पारित किया गया प्रत्येक आदेश संबंधित पेंशनभोगी को संसूचित किया जाएगा।

(8) इस विनियम में वाणिज्यिक नियोजन पद से –

(1) व्यापारिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक, वित्तीय या वृत्तिक कारबार में लगी हुई किसी कंपनी (बैंकिंग कंपनी सहित), सहकारी सोसायटी, फर्म या व्यष्टि के अधीन अभिकर्ता सहित किसी भी हैसियत में कोई नियोजन अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी कंपनी का निदेशकत्व (बैंकिंग कंपनी सहित) और ऐसी फर्म की भागीदारी भी है, किन्तु ऐसे निगमित निकाय के अधीन नियोजन इसके अंतर्गत नहीं है जिस पर केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार का पूर्णतः या सारवान रूप से स्वामित्व या नियंत्रण है,

(2) स्वतंत्र रूप से अथवा किसी फर्म के भागीदार के रूप में, ऐसे मामलों में सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में व्यवसाय स्थापित करना अभिप्रेत है जिनके बाबत पेंशनभोगी –

(अ) के पास कोई वृत्तिक अर्हताएं नहीं हों और जिन विषयों की बाबत व्यवसाय करना है या चलाना है उनका संबंध उसके पदीय ज्ञान या अनुभव से माना जा सकता है, या

(आ) के पास वृत्तिक अर्हताए हैं किंतु जिन विषयों की बाबत ऐसा व्यवसाय करना है वे ऐसे हैं कि उसकी पूर्ववर्ती पदीय स्थिति के कारण उसके ग्राहकों को अनुचित फायदा होना अधिसंभाव्य हो, या

(इ) को ऐसा काम करना होगा जिसमें बैंक के कार्यालयों या आधिकारियों के साथ संपर्क या संबंध स्थापित करना पड़ सकता हो।

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजन के लिए "सहकारी सोसायटी के अधीन नियोजन" पद के अंतर्गत किसी पद का, चाहे वह निर्वाचित हो या अन्यथा, धारण करना आता है, जैसे – अध्यक्ष, सभापति, प्रबंधक, सचिव, कोषपाल, आदि चाहे उस सोसायटी में वह किसी भी नाम से ज्ञात हो।

IndiaCode

51. **नामनिर्देशन** – (1) न्यास इन विनियमों द्वारा शासित प्रत्येक कर्मचारी को न्यास नामनिर्देशन करने के लिए अनुमति देगा जिससे कि पेंशनिक फायदों की रकम संदेय होने या संदेय हो जाने के पश्चात् संदत्त न किए जाने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में इन विनियमों के अधीन पेंशन संबंधी फायदों की रकम प्राप्त करने का अधिकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों को प्रदान किया जा सके। ऐसा नामनिर्देशन ऐसे प्ररूप में किया जा सकेगा जो समय-समय पर बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) यदि कोई कर्मचारी उप विनियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों का नाम निर्देशन करता हैं तो वह नामनिर्देशन में नामनिर्देशिती में से प्रत्येक को संदेय अंश की रकम इस रीति से विनिर्दिष्ट करेगा कि उसके अंतर्गत उसकी मृत्यु के पश्चात् संदेय संपूर्ण पेंशनिक फायदे की रकम आ जाए।

(3) किसी कर्मचारी द्वारा किए गए नामनिर्देशन का, न्यास को बैंक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट प्ररूप में, लिखित सूचना देकर किसी भी समय उपांतरण किया जा सकता है या प्रतिसंहरण किया जा सकता है।

(4) कोई नामनिर्देशन अथवा उसका प्रतिसंहरण या उपांतरण न्यास को प्राप्त होने की तारीख से उस विस्तार तक जिस तक वह विधिमान्य है, प्रभावी होगा।

52. **पेंशन संदेय होने की तारीख** : (1) ऐसे कर्मचारी के सिवाय जिस पर विनियम 43 और विनियम 46 के उपबंध लागू होते हैं, कुटुम्ब पेंशन से भिन्न पेंशन उस तारीख से ठीक बाद की तारीख से संदेय होगी जिसदिन कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है।

(2) कुटुम्ब पेंशन कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख के ठीक बाद की तारीख से संदेय होगी।

(3) पेंशन, जिसके अंतर्गत कुटुम्ब पेंशन भी है, उस दिन के लिए संदेय होगी जिस दिन उसके प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो जाती है।

53. **मुद्रा जिसमें पेंशन देय होगी** : इन विनियमों के अधीन अनुज्ञेय सभी पेंशन केवल रुपये में और भारत में संदेय होगी।

54. **पेंशन संदाय की रीति** : मासिक दर पर नियत की गई पेंशन प्रतिमास आगामी मास के पहले दिन को या उसके पश्चात् संदेय होगी।

55. **अनुदेश जारी करने की शक्ति** : बैंक का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समय-समय पर इन विनियमों के कार्यान्वयन के लिए ऐसे अनुदेश जारी कर सकेगा जो वह आवश्यक या समीचीन समझे।

56. **अवशिष्ट उपबंध** : संदेह की स्थिति में, इन विनियमों को लागू करने के मामले में, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सिविल सेवा नियम, 1972 या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 के तत्समान उपबंधों को ध्यान में रखा जाएगा किंतु ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए जो बैंक, समय-समय पर, केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से अवधारित करे।

indiaCode

(विनियम 35 देखिए)

पहली जनवरी, 1986 और 31 अक्तूबर, 1987 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संबंध में मूल पेंशन और अतिरिक्त पेंशन को अद्यतन करने का सूत्र निम्नलिखित रूप में होगा :

(अ) (1) मूल पेंशन में निम्नलिखित राशि की वृद्धि की जाएगी :

(क) पेंशन के लिए गणना किए जाने योग्य औसत परिलब्धियों के प्रथम रु. 1000 का 50 प्रतिशत — रु.

(ख) अगले रु. 500 का 45 प्रतिशत — रु.

(ग) पेंशन के लिए गणना किए जाने योग्य रु. 1500 से अधिक औसत परिलब्धियों का 40 प्रतिशत

(क + ख + ग) का योग — रु. (अ)

(आ) सेवानिवृत्ति के पहले सेवा के अंतिम दस मासों की औसत परिलब्धियों का 50 प्रतिशत — रु. (आ)

(इ) उपर्युक्त (1) पर संगणित मूल पेंशन पर नीचे दी गई सारणी के अनुसार 1960 = 100) श्रृंखला में औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 600 सूचकांक पर महंगाई राहत — रु. (इ)

(ई) कुल बढ़ी हुई मूल पेंशन — रु. (ई)

$$= (\text{आ}) + (\text{इ}) \times \frac{\text{अर्हक सेवा के वर्षों की संख्या (अधिकतम 33 वर्ष)}}{33}$$

(उ) तारीख 1.11.1993 को मूल पेंशन (अगले उच्चतर रुपये तक पूर्णांकित) — रु. (अ)

(2) अतिरिक्त पेंशन में वृद्धि के लिए भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना में लिए जाने वाले विशेष भत्तों की रकम, यथास्थिति, सेवा विनियम या समझौतों, के अनुसार भविष्य निधि की श्रेणी में आने वाले विशेष भत्तों की मात्रा के संदर्भ में बढ़ाई जाएगी।

IndiaCode

सारणी

1.1.1986 से 31.10.1987 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए 1960 = 100 श्रृंखला में औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सूचकांक 600 पर निकाली गई महंगाई राहत की दरें :

(क)	अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारी	ऊपर (1) पर परिकलित पेंशन का 80.40 प्रतिशत
(ख)	रु. 756/- प्रति मास तक पेंशन आहरित करने वाले लिपिकीय स्टाफ के कर्मचारी	ऊपर (1) पर परिकलित पेंशन का 67 प्रतिशत

(ग) रु. 757/- प्रतिमास और उससे अधिक पेंशन आहरित करने वाले लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी निम्नलिखित महंगाई राहत के पात्र होगें :

प्रतिमाह ली जाने वाली मूल पेंशन की रकम	अनुज्ञेय महंगाई राहत की रकम
रु.	रु.
757 – 796	508.00
797 – 804	534.00
805 – 824	540.00
825 – 844	553.00
845 – 864	567.00
865 – 884	580.00
885 – 904	593.00
905 – 924	607.00
925 – 944	620.00
945 – 964	634.00
965 – 984	647.00
985 – 1004	660.00
1005 – 1024	674.00
1025 – 1044	687.00
1045 – 1064	701.00
1065 – 1084	714.00
1085 और उससे अधिक	727.00

IndiaCode

(घ) अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी निम्नलिखित रीति से महंगाई राहत के लिए पात्र होंगे :

(i) रु. 765/- प्रतिमास तक मूल पेंशन पाने वालों के लिए	उपर्युक्त अ (1) के अनुसार परिकलित पेंशन की रकम का 66 प्रतिशत, किंतु अधिकतम राशि रु. 500 होगी।
(ii) रु. 766/- से रु 1165/- प्रतिमास तक मूल पेंशन पाने वालों के लिए	रु. 500/-
(iii) रु. 1166/- प्रतिमास या उससे अधिक मूल पेंशन पाने वालों के लिए	उपर्युक्त अ (1) के अनुसार परिकलित पेंशन की रकम का 42.90 प्रतिशत, किंतु अधिकतम रु. 715 होगी।

IndiaCode

(विनियम 37 देखिए)

मूल पेंशन पर महंगाई राहत निम्नलिखित रूप में होगी :

(1) ऐसे कर्मचारियों की दशा में जो 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात् किंतु 1 नवम्बर, 1993 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं 1960 = 100) श्रृंखला में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तिमाही औसत में 600 अंकों के ऊपर प्रत्येक 4 अंक के लिए महंगाई राहत, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिए संदेय या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूलनीय होगी। ऐसे प्रत्येक उक्त 4 अंक के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की संगणना नीचे दी गई रीति से की जाएगी :

प्रतिमास मूल पेंशन का मान	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(1)	(2)
(i) रु. 1250/- तक	0.67 प्रतिशत
(ii) रु. 1251/- से रु. 2000/-	रु. 1250/- का 0.67 प्रतिशत धन (+) रु. 1250/- से अधिक मूल पेंशन का 0.55 प्रतिशत
(iii) रु. 2001/- से रु. 2130/-	रु. 1250/- का 0.67 प्रतिशत धन (+) रु. 2000/- और रु. 1250/- के बीच के अंतर का 0.55 प्रतिशत धन (+) रु. 2000/- से अधिक मूल पेशन का 0.33 प्रतिशत
(iv) रु. 2130/- से अधिक	रु. 1250/- का 0.67 प्रतिशत धन (+) रु. 2000/- और रु. 1250/- के बीच के अंतर का 0.55 प्रतिशत धन (+) रु. 2130/- और रु. 2000/- के बीच के अंतर का 0.33 प्रतिशत धन (+) रु. 2130/- से अधिक मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत

IndiaCode

(2) ऐसे कर्मचारियों की दशा में जो पहली नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होते हैं 1960 = 100 श्रृंखला में औद्योगिक कर्मकारों के लिए भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तिमाही औसत में 1148 अंकों से ऊपर प्रत्येक 4 अंक की महंगाई राहत, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिए संदेय या प्रत्येक गिरावट के लिए वसलूनीय होगी। ऐसे प्रत्येक उक्त 4 अंक के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की संगणना नीचे दी गई रीति से की जाएगी :

प्रतिमास मूल पेंशन का मान	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(1)	(2)
(i) रु. 2400/- तक	0.35 प्रतिशत
(ii) रु. 2401/- से रु. 3850/-	रु. 2400/- का 0.35 प्रतिशत धन (+) रु. 2400/- से अधिक मूल पेंशन का 0.29 प्रतिशत
(iii) रु. 3851/- से रु. 4100/-	रु. 2400/- का 0.35 प्रतिशत धन (+) रु. 3850/- और रु. 2400/- के बीच के अंतर का 0.29 प्रतिशत धन (+) रु. 3850/- से अधिक मूल पेशन का 0.17 प्रतिशत
(iv) रु. 4100/- से अधिक	रु. 2400/- का 0.35 प्रतिशत धन (+) रु. 3855/- और रु. 2400/- के बीच के अंतर का 0.29 प्रतिशत धन (+) रु. 4100/- और रु. 3850/- के बीच के अंतर का 0.17 प्रतिशत धन (+) रु. 4100/- से अधिक मूल पेंशन का 0.09 प्रतिशत

(3) महंगाई राहत पहली फरवरी से प्रारंभ होने वाली और 31 जुलाई को समाप्त होने वाली छमाही के लिए पूर्व वर्ष के अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर माह के लिए प्रकाशित सूचकांक के तिमाही औसत के आधार पर तथा पहली अगस्त से प्रारंभ होने वाली और 31 जनवरी को समाप्त होने वाली छमाही के लिए उसी वर्ष के अप्रैल, मई और जून मास के लिए प्रकाशित सूचकांक के तिमाही औसत के आधार पर संदेय होगी।

(4) कुटुम्ब पेंशन, अशक्त पेंशन और अनुकंपा भत्ते के मामले में महंगाई राहत उपर्युक्त दरों के अनुसार संदेय होगी।

(5) महंगाई राहत संराशीकरण के पश्चात् भी पूर्ण मूल पेंशन पर अनुज्ञात होगी।

(6) अतिरिक्त पेंशन पर महंगाई राहत संदेय नहीं है।

IndiaCode

(विनियम 39 देखिए)

कुटुम्ब पेंशन की सामान्य दरें निम्नलिखित होगी :

(क) अंशकालिक कर्मचारियों से भिन्न 1.11.1993 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए, अंशकालिक कर्मचारियों के बाबत

प्रतिमाह वेतन (1)	कुटुम्ब पेंशन की मासिक रकम (2)
1500 रु. तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी धन (+) ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 30 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 375 रु. प्रतिमास से कम नहीं होगा।
1501 रु. से 3000 रु.	वेतन का 20 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी धन (+) ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 20 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 450 रु प्रतिमास से कम नहीं होगा।
3000 रु. से अधिक	वेतन का 15 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी धन (+) ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 15 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 600 रु. प्रतिमास से कम और 1250 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं होगा।

IndiaCode

(ख) अंशकालिक कर्मचारियों से भिन्न 1.11.1993 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुए या सेवानिवृत्त होने वाले, कर्मचारियों के बाबत

प्रतिमाह वेतन (1)	कुटुम्ब पेंशन की मासिक रकम (2)
2870 रु. तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी धन (+) ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 30 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 720 रु. प्रतिमास होगा।
2871 रु. से 5740 रु.	वेतन का 20 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी धन (+) ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 20 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग न्यूनतम 860 रु. प्रतिमास से कम नहीं होगा।
5740 रु. से अधिक	वेतन का 15 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी धन (+) ऐसे भत्तों का, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए गणना की जाती है किन्तु महंगाई भत्ते के लिए गणना नहीं की जाती है, 15 प्रतिशत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त पेंशन का योग 1150 रु. प्रतिमास और अधिकतम 2400 रु. प्रतिमास होगा।

टिप्पणी :

(1) महंगाई राहत अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन पर संदेय नहीं है।

(2) यथापूर्वोक्त कुटुम्ब पेंशन की गणना के प्रयोजन के लिए 'वेतनमान' विनियम 2 के उप खंड (घ) में यथापरिभाषित 'वेतन' और विनियम 33 के उप विनियम (3) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित भत्तों का योग होगा।

(3) अंशकालिक कर्मचारी के मामले में, कुटुम्ब पेंशन की न्यूनतम राशि और कुटुम्ब पेंशन की अधिकतम राशि; कर्मचारी को मिलने वाले मजदूरी मान की दर के अनुपात में होगी।

(विनियम 27 देखिए)

मजदूरी मान पर स्थायी अंशकालिक आधार पर की गई वास्तविक सेवा	पेंशन की राशि के परिकलन के लिए स्थायी अंशकालिक आधार पर की गई प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए तत्स्थानी अर्हक सेवा की अवधि
(1)	(2)
छह घंटे या उससे अधिक किंतु 13 घंटे से कम	वर्ष का एक तिहाई
13 घंटे से अधिक किन्तु 19 घंटे से कम	वर्ष का आधा
19 घंटे से अधिक किन्तु 29 घंटे तक	वर्ष का तीन चौथाई
29 घंटे से अधिक	एक वर्ष

IndiaCode